न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - ...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10-02-25	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बगोदर के **ज्ञापांक - 43, दिनांक- 18.01.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक 21-02-25 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 21-02-25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 10-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 10-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21-2-25	आज पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष w/s दाखिल करें। प्रथम पक्ष के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि निर्गत नोटिस में अशुद्धि है। अभिलेख शुद्ध कर नया नोटिस निर्गत करें। अगली तिथि 07/3/25 [signature] 21-2-25.	
07/3/25	द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा वापस लेने मौखिक अनुरोध किया गया। अगली तिथि 15/3/25 [signature] 07/3/25	
15/3/25	दिनांक 15.3.25 को राजपत्रित अवकाश घोषित होने के कारण सुनवाई नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 28/3/25 को रखें। [signature]	
28/3/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 09/4/25 को रखें। [signature]	

...ी की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9/4/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। आदेश हेतु 9/4/25	
9/4/25	आदेश (वाद सं॰ 15/25) अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र में अवस्थित भूमि को लेकर लोक प्रशांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान है तथा अविलम्ब निरोधात्मक कार्यवाई की आवश्यकता है। अतः भा॰ ना॰ सु॰ सं॰ की धारा 163 के तहत उक्त भूमि पर दिनांक 10-2-25 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया। अग्र पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा - अडवार (बगोदर) प्लॉट नं॰ - 659 खाता नं॰ 66 नोटिस निर्गत कर अग्र पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। अग्र पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए जारी —	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	तथा अपना-अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष उक्त भूमि को बन्दोबस्ती से प्राप्त भूमि बताते हैं अपने आवेदन/कारण पृच्छा में विवादास्पद भूमि का खाता सं. 66 तथा प्लॉट नं. 659 बतलाते हैं। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों में प्लॉट सं. दर्ज नहीं है। द्वितीय पक्ष अपना जमीन उक्त प्लॉट का नहीं बतलाया प्लॉट सं. 959 का बतलाते हैं, खाता सं 66 ही है। द्वितीय पक्ष एग्रीमेन्ट सहमती के जरिए उक्त भूमि को हासिल बतलाते हैं। पुन: प्रथम पक्ष एक सुधार आवेदन दाखिल कर बतलाते हैं कि टंकण त्रुटि के कारण प्लॉट सं 959 की जगह 659 टंकित हो गया है। उभय पक्ष के राजस्व कागजातों का अध्ययन। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के बाद -	

... की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग-अलग राजस्व कागजातों के आधार पर एक ही भू-खण्ड पर अपना दावा कर रहे हैं जो कि मूलतः हक-हकीयत (Title) से जुड़ा विवाद है। हक-हकीयत (Title) / स्वत्व का विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम निर्णय किसी पक्ष के हित में या विरुद्ध करना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित की जाती है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वाद के स्थायी निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय में appropriate वाद लाना सुनिश्चित करेंगे। लेखापित एवं संशोधित [signature] ह०/- SDM Bagodar-Sariya.	[signature] ह०/- SDM. B-S- Subdivision.

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.01 11:42:56 +05:30
Location: 192.168.137.1